Fax/ Speedpost

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

फा. सं. 15/1/झारखण्ड/2015–समन्वय

Dated 12-01-2016

प्रेषक,

श्री राजीव गौबा,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
जिला - रांची

विषय: **झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित) की मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन की समीक्षा।**

महोदय,

आयोग ने झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित) की अनुवीक्षण एवं कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक दिनांक 04.11.2015 को रखी थी। आप द्वारा सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को आयोग में चर्चा के लिए नामित किया गया था। जिसका कार्यवृत आपको दिनांक 14.10.2015 को भेजा गया था। आयोग मुख्यालय में आपको 07.01.2016 को व्यक्तिगत तौर पर चर्चा के लिए बुलाया गया परंतु श्री राजीव अरूण एक्का, सचिव, झारखण्ड सरकार ने अवगत कराया कि दिनांक 09.01.2016 को माननीय राष्ट्रपति जी का रांची में कार्यक्रम निर्धारित है अतः गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक दिनांक 07.01.2016 को आयोग की बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय ने आपका अनुरोध स्वीकार करते हुए आपको अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जनजातियां हमारे समाज के कमजोर वर्गों का सर्वाधिक वंचित भाग हैं। अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक भेदभाव उन पर अत्याचार का मूल कारण है। अनुसूचित जनजातियों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में कई सुरक्षण प्रदान किये गये हैं।

उपरोक्त सभी प्रावधानों का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों की शोषण से रक्षा करना भी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी प्रकार के शोषण से अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए विशेष अधिनियम बनाये हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की अत्याचारों से रक्षा के लिए एक अधिक व्यापक और निवारक अधिनियम, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के रूप में अधिनियमित किया गया था जो दिनांक 30.01.1990 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के आत्मसम्मान को नष्ट करने के व्यवहार से संबंधित है और अनुसूचित जनजातियो के आत्मसम्मान, आर्थिक अधिकारों से वंचित करना, लोकतांत्रिक सम्मान से वंचित करना, कानूनी और/या प्रशासनिक प्रक्रिया का जानबूझकर दुरूपयोग, महिला का शोषण और/या हमला, संपत्ति की क्षति और/या विनाश और व्यक्ति और संपत्ति के खिलाफ जघन्य अपराध, जिनकी सजा भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दस साल या उससे अधिक है, पहले से ही शामिल है। अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों में जानबूझकर की गयी लापरवाही भी एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, अरांज्ञेय है और मामले अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 बनाए जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत लाने के लिए 31.03.1995 को अधिसूचित किए गए। ये नियम वर्ष 2011, 2013

तथा 2014 में दो बार संशोधित किए गए। ये नियम जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और राज्य सरकार द्वारा निश्चित कर्तव्यों को करने के लिए समनुदेशित करते हैं। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ पीड़ितों और/या उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक आर्थिक पुर्नवास प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि और पुर्नवास के उपायों की पद्धति का भी निर्धारण करते हैं।

आयोग अधिनियम, नियमों का अनुवीक्षण कर राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करता है तथा यह एक नीतिगत विषय है जिसमें आपका उपस्थित होना अनिवार्य है ताकि आयोग संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा 5 उपबंध के तहत अनुसूचित जनजातियों का दायित्व पूरा कर सके।

अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव ने पुनः अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों तथा संरक्षण के प्रावधानों पर झारखण्ड सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा हेतु गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार और आपके साथ वैयक्तिक तौर पर **दिनांक 11.02.2016 को मध्याह्न 12:30 बजे** चर्चा के लिए आयोग मुख्यालय में बैठक निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को चर्चा हेतु आयोग की उक्त बैठक में भाग लेने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० डी० बंसौर 12/1/16

(के.डी. बंसौर)श्रीमती

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. गृह सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, जिला-रांची।
2. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, जिला-रांची।
3. अनुसंधान अधिकारी, एनसीएसटी, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची-834002 को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।